वार्षिक लेखे

2014–15

एवं

पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

2014–15

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली (ए.यू.डी.)

मोबाइल : 09953428119

कैलाश चंद जैन एंड कंपनी(पंजीकृत)

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

805, लक्ष्मी दीप भवन,

लक्ष्मीनगर जिला सेंटर, लक्ष्मीनगर,

दिल्ली - 110092

ई-मेल : delhi@kcjainco.com, kcjaindelhi@gmail.com

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

1. हमने 31 मार्च, 2015 को "अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली" के संलग्न तुलन-पत्र और इस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु इसके साथ संलग्नक आय एवं व्यय लेखा की भी लेखापरीक्षा की । इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी प्रबंधन की है । हमारी जवाबदेही हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है ।

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों से अपेक्षा है कि हम वित्तीय विवरणों के प्रत्यक्ष अयथार्थता से मुक्त होने के बारे में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और उसका निष्पादन करें ।

3. एक लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर धनराशियों के समर्थन में साक्ष्यों और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की जांच शामिल है । एक लेखापरीक्षा में प्रयोग किए गए लेखा सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा बनाए गए सार्थक अनुमानों के मूल्यांकन के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के संपूर्ण रूप से प्रतिपादन का मूल्यांकन भी शामिल है ।

4. पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुन: व्यवस्थित किया गया है और जहां आवश्यक हो वहां पुनर्गठित किया गया है।

5. हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत के लिए एक सार्थक आधार प्रदान करती है ।

6. **हम सूचित करते हैं कि :**
   i. लेखाकरण् मानक 15 'कर्मचारीलाभों' और लेखांकन मानक 29 'प्रावधानों, आकस्मिकता देयताएं एवं आकस्मिकता परिसंपत्ति' के अनुसार अपेक्षित प्रकटीकरण नहीं बनाए गए हैं।
   ii. 'नयी पेन्शन योजना' पर वर्ष एवं पिछले वर्ष के दौरान कटौती किए गए नियोक्ता एवं कर्मचारी के अंशदान संबंधी उचित अनुदेशों के अभाव में उचित प्राधिकारियों को धन प्रेषण नहीं किया गया और धनराशि को बैंक के एफडीआर/अलग बैंक खाता में रखा है । ब्याज/दंड के मामले में देयताओं का यदि कोई हों कोई नहीं, धनराशि के गैर/विलंब धन प्रेषण हेतु पता नहीं लगाया गया और उपलब्ध नहीं कराया गया।
   iii. ए.यू.डी. ने इस चालू वर्ष से परियोजनाओं(सीइसीइडी, सर जमशेदजी टाटा ट्रस्ट, सर रतन टाटा ट्रस्ट, यूजीसी एवं अन्य परियोजना) के संबंध में अलग खाते तैयार करने शुरू कर

दिए हैं। प्रत्येक परियोजना की अग्रिम धनराशि एवं परिसंपत्ति समाधान के अधीन है और अनिश्चित है, विश्वविद्यालय के आय एवं व्यय तथा परिसंपत्ति और देयताओं पर उसी के परिणामी प्रभाव का पता नहीं लगाया है।

iv. विश्वविद्यालय द्वारा कर की गैर/कम कटौती और कर के देर से प्रेषण के कारण देयता का पता नहीं लगाया गया है और उपलब्ध नहीं कराया गया है।

v. विश्वविद्यालय द्वारा पिछले वर्ष रु.13,76,312 की निवल उचंत चालू देयता का समाधान नहीं किया है।

vi. ऋण और अग्रिमों में क्रमश: पिछले पिछले वर्ष में विभिन्न डिपॉजिटरी कार्य हेतु पी.डब्ल्यु.डी को दिए गए रु. 3,31,12,604 की धनराशि शामिल है । मुझे उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड और जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष के दौरान पी.डब्ल्यु.डी द्वारा कई कार्य पूरे किए गए थे और ए.यू.डी. ने इन परिसंपत्तियों/ सुविधाओं का उपयोग किया है और रु.2,01,50,081 धनराशि हेतु संदर्भ संख्या 323/2014-15/100 के द्वारा दिनांक 16.01.2015 को विवरण दिया गया है, इस धनराशि को उनके अग्रिम के प्रति समायोजित किया गया है । पी.डब्ल्यु.डी.(पुष्टि एवं समाधान के अधीन) को दिए गए अग्रिम की स्थिति दिनांक 31.03.2015 को निम्नानुसार है :

विवरण		**धनराशि(रुपए में)**
दिनांक 01.04.2014 को आरंभिक शेष		
-पी.डब्लयु.डी को अग्रिम	1,57,09,549	
- कार्यकारी अभियंता(सिविल) पी.डब्ल्यु.डी. डिवी. सं. 323	1,51,97,850	
- कार्यकारी अभियंता(सिविल) पी.डब्ल्यु.डी. डिवी. सं. 323	1,23,55,286	4,32,62,685
घटाएं : पी.डब्ल्यु.डी. डिवी. सं. 323 द्वारा दिए गए विवरण के प्रति समायोजित		1,01,50,081
दिनांक 31.03.2015 को अग्रिम		3,31,12,604

vii. अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने पिछले वर्ष अर्थात् 201314 में रक्षक सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में रु.67,865(पी.एफ. के लिए) तथा रु. 23,686(ई.एस्.आई के लिए) की धनराशि को रोक लिया लेकिन वर्तमान वर्ष में अम्बेडकर विश्वविद्यालय द्वारा देयताओं(प्रमुख नियोक्ता के रूप में) के प्रति कोई भी धनराशि नहीं रोकी।

viii. क्रय वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों को चार्जड ऑफ किया गया है।

ix. यह हमें सूचित किया जाता है कि रिग्रुपिंग के कारण सत्यापन एवं समाधान के अधीन पूंजीगत निधि एवं पूंजीगत धनराशि में रु. 1,27,631 का अंतर है ।

x. कर्मचारियों एवं अन्य के लिए अग्रिम सामंजस्य के अधीन है और अपुष्ट है, परिणामस्वरूप आय एवं व्यय तथा परिसंपत्तियों और विश्वविद्यालय की देनदारियों पर इसका प्रभाव अभिनिश्चित नहीं हैं ।

हम आगे यह भी सूचित करते हैं कि :

i. हमने रिपार्ट की टिप्पणियों की शर्तों के अधीन सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी लेखापरीक्षा हेतु यथासंभव हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक थे ।

ii. हमारी राय में विश्वविद्यालय द्वारा विधि द्वारा अपेक्षित उचित खाता बही को रखा गया है जहां तक ऐसे खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

iii. इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन पत्र और आय एवं व्यय खाता बही से मेल खाते हैं ।

iv. इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन पत्र और आय एवं व्यय बिंदु संख्या 6(i) में उल्लिखित को छोड़कर ए.यू.डी.(आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी) के लिए लागू लेखा मानदंड के साथ स्पष्ट रूप से इंगित करता है।

v. मेरी राय उक्त लेखा में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार अनुसूची 13 के अनुसार बिंदु संख्या 6(i) से 6(x) तक और खाते पर नोट्स के अधीन दी गई सटीक जानकारी सही है और भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं ।

क) 31 मार्च,2015 को विश्वविद्यालय के स्टेट ऑफ अफेयर्स के तुलन पत्र के मामले में और

ख) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए व्यय पर आय से अधिक के आय एवं व्यय खाते के मामले में।

कृते कैलाश चंद जैन एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

हस्ता./-

अभिषेक जैन
पार्टनर
मेम. सं. 407973

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04/07/2015

अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली
31 मार्च 2015 को तुलन पत्र

(धनराशि रुपये में)

समग्र(कॉरपस)/ पूंजीगत निधि और देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कॉरपस/ पूंजीगत फंड	1	509,224,161	300,571,479
आरक्षित और अधिशेष	2	-	-
निर्धारित/बंदोबस्ती फंड	3	56,032,594	10,583,758
वर्तमान उत्तरदायित्व और प्रावधान	4	76,303,518	45,390,853
कुल		**641,560,272**	**356,546,089**
<u>परिसंपत्तियां</u>			
स्थायी परिसंपत्तियां	5	184,864,528	141,982,406
निवेश-निर्धारित/बंदोबस्ती फंड से		-	-
निवेश अन्य	6	171,822,000	50,700,000
चालू संपत्ति, ऋण, अग्रिम इत्यादि।	7	284,873,744	163,863,684
विविध व्यय (किसी तक न लिखा गया या समायोजित)		-	-
कुल		**641,560,272**	**356,546,090**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति	13		

कृते अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

चंदन मुखर्जी
(प्रो कुलपति और वित्त के नियंत्रक)

दिनांक: 04/07/2015
स्थान: दिल्ली

कृते कैलाश चंद जैन एंड कं
चार्टर्ड अकाउंटेंट

अभिषेक जैन
पार्टनर

अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

31 मार्च, 2015 की अवधि के लिए आय और व्यय लेखा

(धनराशि रुपये में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
शुल्क से आय	8	40,259,414	45,131,835
अनुदान- राज्य	9	388,566,090	250,000,000
अनुदान - यूजीसी विकास निधि *		-	28,000,000
निवेश से आय (निवेश पर आय). उद्दिष्ट/अक्षय निधि से निधि का अंतरण*		-	493,768
अन्य आय	10	4,545,245	5,520,113
ब्याज आय:			
बचत बैंक खाता		2,736,301	2,246,013
- एफडीआर		7,327,623	3,603,937
योग (ए)		**443,434,673**	**334,995,666**
व्यय			
अकादमिक व्यय	11	20,818,020	17,343,800
प्रशासनिक व्यय	12	52,964,513	71,837,119
कर्मचारी को वेतन		161,789,542	143,965,184
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय यूजीसी *		-	8,445,161
अचल संपत्ति			
- जीआईए		22,550,554	11,526,078
- यूजीसी विकास निधि		-	3,533,753
योग (बी)		258,122,629	256,651,095
खर्च पर आय से अधिक शेष राशि (ए-बी)		185,312,045	78,344,571
विशेष रिजर्व में स्थानांतरण (प्रत्येक को निर्दिष्ट करें)		-	-
सामान्य रिजर्व से / में स्थानांतरण		-	-
प्रारंभिक शेष आगे ले जाया गया		-	80,244,504
(शेष अधिशेष/ घाटा) को कॉरपस/ पूंजीगत निधि में लिया गया		**185,312,045**	**158,589,075**
महत्वपूर्ण लेखाकंन नीति	13		

* चालू वर्ष में यूजीसी के लिए पृथक परियोजना खाता को बनाए रखा गया है और अनुसूची सं. 3 में अलग से दिखाया गया है।

कृते अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

कृते कैलाश चंद जैन एंड कं
चार्टर्ड अकाउंटेंट

चंदन मुखर्जी
(प्रो. कुलपति और वित्त के नियंत्रक)

अभिषेक जैन
पार्टनर

दिनांक: 04/07/2015
स्थान: दिल्ली

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता

(धनराशि रुप

प्राप्तियां	अनुसूची	राशि	भुगतान	अनुसूची	धनरा
प्रारंभिक शेष		114,684,071.70	अचल सम्पत्ति	अनुसूची 5	22,5
बैंक खाता 114677443.7			निवेश		121,1
कैश-इन-हैण्ड 6628.00			अन्य फंड में स्थानांतरण		27,8
			परियोजना		3,0
			वर्तमान संपत्ति		
प्राप्त अनुदान		338,566,090.00	अकादमिक व्यय	अनुसूची 11	20,81
अप्रत्यक्ष आय		8,669,951.56	प्रशासनिक व्यय	अनुसूची 12	52,9
वर्तमान संपत्ति		2,879,882.47	कर्मचारी को वेतन		161,7
कोर्स फीस (शुद्ध वापसी)		46,705,724.49			
			जमा शेष		126,91
वर्तमान दायित्व		25,537,429.67	बैंक खाता 133829384.54		
			कैश-इन-हैण्ड 6628.00		
कुल		537,043,149.89	कुल		537,043

अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली
31 मार्च, 2015 तक अनुसूची बैलेंस शीट का हिस्सा बनाना

धन(राशि रुपये में)

अनुसूची 1 - पूंजीगत निधि

विवरण	2014-15	2013-14
प्रारंभिक शेष	300,571,481	126,922,575
घटाएं: समायोजन अनुसूची 14	19,541,487	
जोड़ें: चालू वर्ष का आय और व्यय से अंतरण किया गया अधिशेष/घाटा	185,312,045	158,589,075
जोड़ें: वर्ष के दौरान निधि से खरीदी गई स्थायी परिसंपत्तियाँ	42,882,122	15,059,831
अंत शेष	509,224,161	300,571,481

अनुसूची 2 - आरक्षित और अधिशेष

विवरण	2014-15	2013-14
आरक्षित और अधिशेष	-	-
कुल	-	-

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली
31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि में तुलन पत्र

उप-अनुसूची 3- उद्दिष्ट / अक्षय निधि

(धनराशि रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	सीईसीईडी	एसआरटीटी	जेटीटी	परिसर विकास	यूजीसी विकास निधि	अन्य परियोजना*	कुल
A	**निधि का प्रारंभिक शेष**							
	बैंक राशि	8,384,776	-	15,064	-	16,568,075	2,603,270	27,571,185
	अग्रिम	4,553,510	-	-	-	4,767,421	125,022	9,445,953
	कुल ए	**12,938,286**	-	15,064	#NAME?	**21,335,496**	**2,728,292**	**#NAME?**
								-
B	**निधि में वृद्धि**							-
	i. दान / अनुदान	40,428,359	2,000,000	10,115,000	15,000,000	-	13,735,633	81,278,992
	ii. निधियों के खाते में किए गए निवेश से आय (बैंक ब्याज)	641,509	55,186	95,613	177,911	291,563	243,359	1,505,142
	iii. अन्य अतिरिक्त (अग्रिम से अव्ययित कैश)	149,474	-	91,052	1,650	166,813	82,769	491,758
	कुल बी	**41,219,342**	**2,055,186**	**10,301,665**	**15,179,561**	**458,376**	**14,061,761**	**83,275,892**
								-
C	**निधि के उद्देश्य हेतु उपयोग / व्यय**							-
	i. पूंजीगत व्यय							-
	क. अचल संपत्तिया	197,474	-	-	-	17,716,499	2,417,595	20,331,568
	ख. अन्य लोग	-	-	-	-	-	-	-
	कुल सी (i)	197,474	-	-	-	17,716,499	2,417,595	20,331,568
	ii] राजस्व व्यय							-
								-
	क. वेतन, मजदूरी और भत्तों आदि	6,798,132	1,349,627	605,000	-	-	2,552,054	11,304,813
	ख. किराया	-	-	-	-	-	-	-
	ग. अन्य प्रशासनिक खर्च	21,011,986	71,179	5,984,403	52,450	1,743,563	3,760,473	32,624,054
	कुल सी (ii)	27,810,118	1,420,806	6,589,403	52,450	1,743,563	6,312,527	43,928,867
								-
								-
	कुल (सी)	**28,007,592**	**1,420,806**	**6,589,403**	**52,450**	**19,460,062**	**8,730,122**	**64,260,435**
								-
	वर्ष के अंत में शुद्ध बैलेंस (ए+बी-सी)	**26,150,036**	**634,380**	**3,727,326**	**#NAME?**	**2,333,810**	**8,059,931**	**#NAME?**
								0
	समापन शेष							0
	31.03.2015 को बैंक बैलेंस	25,070,344	580,880	3,727,326	15,127,111	1,083,083.99	6,917,909.00	52,506,653.88
	अग्रिम	1,079,692	53,500	-	-	1,250,726.00	1,142,022.00	3,525,940.00
		26,150,036	**634,380**	**3,727,326**	**15,127,111**	**2,333,810**	**8,059,931**	**56,032,594**

** नोट: अन्य परियोजनाओं के विवरण के लिए कृपया उप-अनुसूची 3.1 देखें

उप-अनुसूची 3.1 - अन्य परियोजनाओं का विवरण

(राशि रुपये में)

		1 ब्रिटिश परिषद	2 एचवाईए नजीओ	3 नेशनल बुक ट्रस्ट	4 एनपीए सटी	5 एनयू पीआई	6 ई - क्वेल परियोजना	7 रोहिणी गडिओंकफा उंडेशन	8 आईसीएसए सआर दिल्ली ओरेन्टीज (सीसीके)	9 आईसीएसएस आर (ओमान हेमलता देवी)	10 आईसीएसएस आर (भारत में श्रेणी और जाति)	12 आईसीएसएस आर (मिनाकेतन बेहरा) द्वितीय	13 ब्रिटिश काउंसिल II	14 आईसीएसए सआर (शैलजा मेनन)	कुल
a	निधि का प्रारंभिक शेष	0	0	41000	0		0	267680	0	0	0	412910	223320	600000	1544910
b	निधि में वृद्दि														
i	फंड / अनुदानं	414254	165000	730425	7225	1476358	5166013	495000	480000	180000	561215	0		0	9675490
ii	निधियों के खाते में किए गए निवेश से आय (बैंक ब्याज)	0	0	0		0								0	
iii	अन्य इसके अलावा														
	कुल (ए + बी)	414254	165000	771425	7225	1476358	5166013	762680	480000	180000	561215	412910	223320	600000	11220400
c	निधियों के उद्देश्य के लिए उपयोग / व्यय														
i	पूंजीगत व्यय														
a	स्थायी परिसंपत्तियां	0	0	0		99250	2000574	0	0	0	0	0	0	0	2099824
b	अन्य लोग					0						0	0		
	कुल	0	0	0		99250	2000574	0	0	0	0	0	0	0	2099824
ii	राजस्व व्यय														
a	वेतन, मजदूरी और भत्तों आदि	0	0	0		527500	259643	0	232258	0	0	24935	0	77619	1121955
b	किराया	0	0	0		0		0	0				0	0	
c	अन्य प्रशासनिक खर्च	414254	0	564648	7225	0	562197	660000	0	0	85003	0	126914	522381	2942622
	कुल	414254	0	564648	7225	527500	821840	660000	232258	0	85003	24935	126914	600000	4064577
	कुल (सी)	414254	0	564648	7225	626750	2822414	660000	232258	0	85003	24935	126914	600000	6164401
D	अग्रिम						290000		50000	127000		50000			517000
	वर्ष के अंत में निवल ब्याज (ए+ बी-सी)	0	165000	206777	0	849608	2053599	102680	247742	53000	476212	337975	96406	0	4588999

उप-अनुसूची 3.1 - अन्य परियोजनाओं का विवरण

			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		पूर्वप्रस्ठ से 14 तक कुल परियोजना	आईसीएसएसआर (कार्तिक दबे)	आईसीएचआर (अध्ययन अनुदान रूबी सैनी)	बिजनेस कॉनक्लेव एसबीपीपीएसई	सेल परियोजना	स्प्रिट ऑफ दिल्ली (सीसीके)	वसंत जे सेठ मेमोरियल फाउंडेशन (सीसीके)	आईसीएचआर पुरातनता संगोष्ठी	आईसीएसएसआर (सुमंगला दामोदरन)	आईसीएसएसआर (प्रवीण सिंह)	आईसीएचआर (कार्टोग्राफिक विरासत) सीसीके	आईसीएसएसआर (मिनिकेटन बेहरा) प्रथम	अन्य परियोजना
a	निधि का प्रारंभिक शेष	1,544,910	-	-		943,511		-	-				90,066	24,783
	अग्रिम													
	कुल ए													
b	निधि में वृद्धि							-						
i	निधि / अनुदान	9,675,490	200,000	15,000	70,000	1,000,000	490,000	150,000	400,000	137,550	1,168,703	29,443	-	399,447
ii	निधियों के खाते में किए गए निवेश से आय (बैंक ब्याज)		-											
iii	अन्य अतिरिक्त (अव्ययित कैश)													
	कुल बी	11,220,400	200,000	15,000	70,000	1,943,511	490,000	150,000	400,000	137,550	1,168,703	29,443	90,066	424,230
सी	निधियों के उद्देश्य के लिए उपयोग / व्यय													
i	पूंजीगत व्यय													
ए	स्थायी परिसंपत्तियां	2,099,824	-	-	-	317,771	-	-		-	-	-		
बी	अन्य लोग							-						
	कुल	2,099,824	-	-	-	317,771	-	-		-	-	-		
ii	राजस्व व्यय													
ए	वेतन, मजदूरी और भत्तों आदि	1,121,955			-	1,123,666	57,500	-		-	248,933	-		
बी	किराया				-	-		-			-			
सी	अन्य प्रशासनिक खर्च	2,942,622		15,000	62,491	319,616	232,293			11,127	129,287	-	48,037	
	कुल	4,064,577	-	15,000	62,491	1,443,282	289,793	-		11,127	378,220	-	48,037	
	कुल (सी)	6,164,401	-	15,000	62,491	1,761,053	289,793	-		11,127	378,220	-	48,037	-
	निधि का अंत शेष													
	अंत शेष :-													
	- बैंक राशि													
डी	- अग्रिम	517,000	140,000			-	200,000		235,022		50,000		-	
	कुल	4,588,999	60,000	-	7,509	182,458	207	150,000	164,978	126,423	740,483	29,443	42,029	-

अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली
31 मार्च, 2015 तक अनुसूची तुलन पत्र का हिस्सा बनाना

(धनराशि रुपये में)

अनुसूची 4 - चालू देयताएं

विवरण	अनुसूची	2014-15	2013-14
प्रतिभूति जमा	4.1	436,280	408,780.00
सुरक्षा शुल्क		6,364,400	3,685,400.00
विविध लेनदार		5,270,441	9,511,622.00
कर एवं शुल्क	4.2	1,852,905	696,730.00
कर्मचारी देयताएं	4.3	47,016,918	28,422,975.68
बयाना राशि		467,493	2,196,786.00
विविध देयताएं वि.व. 2011-12	4.4	290	80,617.00
आकस्मिक राहत		-	-
विजिटिंग संकाय / विशेषज्ञ			65,092.00
देय ऑडिट शुल्क		150,000	150,000
छात्रों को देय राशि		-	172,850.00
इंदिरा गांधी दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय		629,416	-
अम्बेडकर विश्वविद्यालय (एसडब्ल्यूएफ खाता)		5,480,102	-
आईसीएसएसआर		577,500	
आईसीएसएसआर परियोजना		698,448	
निधि उपयोग सीसीके एनआईएफ		169,725	
सर जमशेद जी टाटा		3,748,259	
यूजीसी		2,912,615	
अन्य परियोजना		528,726	
कुल		76,303,518	45,390,853

उप-अनुसूची 4.1 - प्रतिभूति जमा

विवरण		(राशि रुपये में)
सीएस आंकरण	10,000	
इकोले सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	10,000	
इलेक्ट्रो बिक्री निगम	50,000	
नेटकॉम सिस्टम	15,000	
संचार सिस्टम	15,000	
ट्राईकार्नियोप टेक्नोलॉजीज	15,000	
अन्य सुरक्षा जमा	278,780	
प्रदर्शन गारंटी	42,500	
		436,280

उप-अनुसूची 4.2 -शुल्क और कर

विवरण	(राशि रुपये में)
एयूडी	
टीडीएस U/s 194 सी	110,649
टीडीएस U/s 194 जे	401,010
टीडीएस U/s 195	1,341,246
शुद्ध शेष	1,852,905

उप-अनुसूची 4.3 - कर्मचारी देयताएं

विवरण		(राशि रुपये में)
देय वेतन	37,386	
कर्मचारी देयताएं	46,979,532	
		47,016,918

उप-अनुसूची 4.4 - वित्त वर्ष 11-12 विविध देयताएं

विवरण		राशि
वेतन से कटौती के संबंध में देयताएं		
इग्नू	190	
सचिव डीयूटीडब्ल्यूएफ	100	290.00
Total		**290.00**

अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली
31 मार्च 2015 तक अनुसूची तुलन पत्र का हिस्सा बनाना

(धनराशि रुपये में)

अनुसूची 5 - स्थायी परिसंपत्तियां

विवरण	प्रारंभिक	इसके अलावा	विलोपन	मूल्यह्रास	समापन
पुस्तकें	40,507,604	19,567,267	-	-	60,074,871
एयर कंडीशनर	1,181,289	-	-	-	1,181,289
कंप्यूटर और पेरिफरल्स	24,339,328	-	-	-	24,339,328
कंप्यूटर हार्डवेयर और अन्य उपकरणों	-	1,457,154	-	-	1,457,154
कूलर	8,000	-	-	-	8,000
इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन	112,478	-	-	-	112,478
पंखा	74,750	-	-	-	74,750
फर्नीचर एवं फिक्सचर	65,132,639	1,455,545	-	-	66,588,184
हीट कन्वर्टर	61,614	-	-	-	61,614
कार्यालय उपकरण	2,857,499	70,588	-	-	2,928,087
वाटर कूलर	491,599	-	-	-	491,599
पुस्तकें वित्त वर्ष 2011-12	779,209	-	-	-	779,209
कंप्यूटर और पेरिफेरल 2011-12	2,902,644	-	-	-	2,902,644
कुल (ए)	138,448,653	22,550,554			160,999,207
सीईसीईडी					
कंप्यूटर	-	119,124	-	-	119,124
उपकरण	-	42,450	-	-	42,450
फर्नीचर	-	35,900	-	-	35,900
कुल (बी)	-	197,474	-	-	197,474
अन्य प्रोजेक्ट					
कंप्यूटर और पेरिफेरल्स (अन्य परियोजनाएं)	-	855,071	-	-	855,071
कार्यालय उपकरण (अन्य परियोजनाएं)	-	1,562,524	-	-	1,562,524
कुल (सी)	-	2,417,595	-	-	2,417,595
यूजीसी					
पुस्तकें	2,507,192	-	-	-	2,507,192
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	483,711	-	-	-	483,711
कंप्यूटर	542,850	6,430,594	-	-	6,973,444
फर्नीचर एवं फिक्सचर	-	162,356			162,356
आईसीटी का विकास	-	7,570,153			7,570,153
प्रयोगशाला उपकरणों और इन्फ्रास्ट्रक्चर	-	3,553,396			3,553,396
कुल (डी)	3,533,753	17,716,499			21,250,252
कुल योग	141,982,406	42,882,122	-	-	184,864,528

अनुसूची 6 - निवेश

विवरण	प्रारंभिक	बनाया गया	परिपक्व	समापन
एफडीआर	-	55,412,659.00	21,590,659.00	33,822,000.00
एफडीआर संख्या 13381600000781	19,700,000.00	-	19,700,000.00	-
एफडीआर एनपीएस एसएनएसएफ 976486		16,000,000.00	-	16,000,000.00
एफडीआर एस नहीं 4439935	11,000,000.00	-	11,000,000.00	-
एफडीआर एस नहीं 4439936	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-
एफडीआर एसएनएसएफ 977198	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-
एफडीआर एसएनएसएफ 977199	-	30,000,000.00	30,000,000.00	-
केनरा बैंक कश्मीरी गेट (एफडी)	-	24,000,000.00	-	24,000,000.00
पंजाब एंड सिंध बैंक (फिक्स्ड डिपॉज़िट)	-	34,000,000.00	-	34,000,000.00
सिंडिकेट बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (फिक्स्ड डिपॉज़िट)	-	34,000,000.00	-	34,000,000.00
Total	**50,700,000**			**171,822,000**

अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली
31 मार्च, 2015 तक अनुसूची तुलन पत्र का हिस्सा बनाना

(धनराशि रुपये में)

अनुसूची 7 - चालू परिसंपत्तियां संपत्ति, ऋण और अग्रिम

विवरण			2014-15	2013-14
I) ऋण और अग्रिम				
	क) एलटीसी अग्रिम स्टाफ के लिए	Subschedule 7.1	34,400	-
	ख) स्टाफ और संकाय के लिए अग्रिम	Subschedule 7.2	2,399,682	2,284,004.00
	ग) अग्रिम - परियोजनाएं		3,525,940	-
	घ) भारतीय विश्वविद्यालयों की एसोसिएशन को अग्रिम		30,000	11,000.00
	ट) सीपी दिल्ली के लिए अग्रिम		12,063	62,063.00
	ठ) पीडब्लूडी के लिए अग्रिम		5,559,468	15,709,549.00
	ड) कार्यकारी अभियंता (सिविल) पीडब्लूडी वि. नं. 323		15,197,850	27,553,136.00
	ढ) कार्यकारी अभियंता, विद्युत वि. नं. 353		12,355,286	0
	त) आईसीएसएसआर परियोजना के लिए अग्रिम		27	0
	थ) अग्रदाय		136,277	74,910.00
	द) भारत इस्लामी सांस्कृतिक केंद्र		40,225	0
	ध) इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (आईआईसी)		110,000	57,500.00
	न) अग्रदाय (फाइनेंस)		39,615	0
	प) आपूर्तिकर्ता को अग्रिम		-	517,658.00
कुल (I)			39,440,833	46,269,820
II) रोकड़	एयूडी		6,628	6,628.00
III) बैंक शेष				
	केनरा बैंक द्वारका -2226		56,428,738	31,102,599.71
	केनरा बैंक कश्मीरी गेट (51660)		58,612,048	(9,013,452)
	केनरा बैंक -4066 सीसीईडी		25,070,344	8,384,775.55
	सिंडिकेट बैंक खाता 89560 (यूजीसी अनुदान)		1,083,084	16,568,075.00
	सिंडिकेट बैंक -7027 (जेटीटी)		3,727,326	15,064.08
	आईडीबीआई बैंक खाता 4329 एसआरटीटी		580,880	
	आईडीबीआई बैंक सिविल लाइन - 00523		6,917,909	2,603,270.00
	आईडीबीआई बैंक (7009)		40,002	
	एनपीएस फंड (जमा खाता) 3872		945,127	15,056,793.68
	सिंडिकेट बैंक -7012		8,186,855	49,960,317.30
	पंजाब और सिंध बैंक (कैंपस विकास)		15,127,111	
	पंजाब एंड सिंध बैंक (1900)		2,698,705	-
कुल (III)			179,418,129	114,677,444
IV) अन्य				
	उपार्जित ब्याज		2,072,593	-
	रक्षक सुरक्षा से वसूली योग्य राशि		1,745,197	-
	सीईसीईडी		5,942,373	4,938.00
	अन्य परियोजनाएँ		-	-
	प्राप्त अनुदान		50,000,000	-
	पहले हुआ व्यय		292,009	-
	वसूली योग्य टीडीएस		10,527	10,527.00
	वापस टेलीफोन कनेक्शन		12,500	12,500.00
	सस्पेंस		-	1,284,491.00
	प्रोद्भूत ब्याज		5,932,955	1,597,336.00
कुल (IV)			66,008,154	2,909;792
चालू कुल परिसंम्पत्तियां (I+II+III+IV)			284,873,744	163,863,684

अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली
31 मार्च, 2015 तक अनुसूची तुलन पत्र का हिस्सा बनाना

(धनराशि रुपये में)

उप-अनुसूची 7.1 - एलटीसी अग्रिम

विवरण	समापन
ब्रिजेश कुमार गुप्ता को एलटीसी अग्रिम	5,400
देबल सी. कार को एलटीसी अग्रिम	29,000
कुल	**34,400**

उप-अनुसूची 7.2- स्टाफ और संकाय को अग्रिम

विवरण	समापन
डीन शैक्षणिक सेवाओं के लिए अग्रिम	75,000
आखा काहिरी माओ	18,500
अनिर्बान सेन गुप्ता	82,539
अर्चना शर्मा	(114)
अस्मिता काबरा	100,500
बेनील बिस्वास	119,712
सी. संजीश कुमार	5,000
दीपन शिवरामन	475,000
धरित्री चक्रवर्ती	100,000
कुरिआकोस मैमकोट्टम (एसबीपीपीएसई)	30,000
लवीटोली जीमो	148,000
मनीष जैन	205,000
नंदिनी नायक	54,980
निधि चोपड़ा	15,000
निर्मला नारायण चक्रवर्ती	4,850
रचना जोहरी	14,750
रमनजीत कौर	58,000
सलील मिश्रा	125,000
संजय शर्मा	75,000
संतोष कुमार सिंह	89,000
सैयदेब चौधरी	116,666
शीतल नागपाल	1,000
शेफाली जैन	15,000
शिवाजी के पन्निकर	32,300
सुरजीत सरकार	189,999
सुरेश बाबू-एयूडी	236,000
ऊषा मुदिगंती	10,000
यतिन्दर सिंह	3,000
कुल	2,399,682

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली
31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि में आय और व्यय को विभाजित करने की अनुसूची

अनुसूची 8 - शुल्क से आय

(धनराशि रुपये में)

विवरण		राशि
आवेदन शुल्क और परीक्षा शुल्क	4,308,141	
घटाएं: विज्ञापन / सामान्य व्यय	1,131,986	3,176,155
सह-पाठ्यचर्या	660,000	
घटाएं: सह-पाठ्यचर्या सक्रिय और उद्योग इंटरफ़ेस	511,916	148,084
कोर्स एमटी / डाटा बेस	954,000	
घटाएं: पाठ्यक्रम सामग्री / डाटा बेस	5,350	948,650
अतिरिक्त भित्ति	805,000	
घटाएं: अतिरिक्त बौद्धिक गतिविधियां पर व्यय	32,400	772,600
ट्यूशन शुल्क	42,691,626	
घटाएं: व्यय		
- लर्निंग एन्हांसमेंट	2,791,315	
- छात्रवृत्ति	3,729,908	
- कोर्स फीस रिफंड	508,500	
- शुल्क छूट / धनवापसी	616,200	
- प्लेसमेंट और कैरियर परामर्श	23,708	
	7,669,631	
निवल ट्यूशन शुल्क		35,021,995
लेट फीस फाइन		141,930
आंशिक कोर्स लेन-देन लागत		40,000
डिग्री शुल्क		10,000
शुल्क से निवल आय		**40,259,414**

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली
31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि में आय और व्यय को विभाजित करने की अनुसूची

अनुसूची 9 - अनुदान - राज्य सरकार

(राशि रुपये में)

क्र. सं.	स्वीकृति आदेश संख्या	दिनांक	J.1(1)(2)(1)(4)(3)- जीआईए वेतन	जे..1(1)(2)(1)(4) (1)- जीआईए वेतन के अतिरिक्त (सामान्य)	जे.1(1)(2)(1) (4)(2``) जीआईए पूंजीगत संपत्ति	एमएच 4202- केपिटल प्लान जेजे1(1)(1)(2)400 केवीए इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन	किस्त के रूप में आवंटित कुल फंड
1	DHE-03(1)/AUD/GIA/2013-14/626-634	13.5.2014	42,500,000	18,750,000	-	-	61,250,000
2	DHE-03(1)/AUD/GIA/2013-14/4349-57	26.9.14	120,000,000	52,500,000	-	-	172,500,000
3	DHE-20(1)/AUD/GIA/2014-15/6176-6185	12.12.2014	-	20,000,000	-	-	20,000,000
4	DHE-20(1)/AUD/GIA/2014-15/1104-112	17.03.2015	57,500,000	-	25,000,000	-	82,500,000
5	DHE-20(1)/AUD/GIA/2014-15/1704-1712	31.03.2015	30,000,000	20,000,000	-	-	50,000,000
6	DHE-20(6) /AUD/Capital /2014-15/3/6238-6239 कश्मीरीगेट केम्पस के लिए	17.12.14	-	-	-	2,316,090	2,316,090
	कुल		**250,000,000**	**111,250,000**	**25,000,000**	**2,316,090**	**388,566,090**

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली
31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि में आय और व्यय को विभाजित करने की अनुसूची

अनुसूची 10 - अन्य आय

(धनराशि रुपये में)

विवरण		धनराशि
आवेदन शुल्क (भर्ती)	97,000	
पहचान कार्ड शुल्क	2,780	
ओवरहेड प्रभार (आय)	1,784,022	
दंड	16,210	
आरटीआई शुल्क	460	
स्क्रैप की बिक्री	8,052	
विविध प्राप्तियां	37,978	
बिना भुनाए पुराने चेक	2,598,743	
कुल		**4,545,245**

अनुसूची - 11: शैक्षणिक व्यय

विवरण	2014-15	2013-14
सलाहकार बैठक व्यय	870,879	-
फील्ड आधारित शिक्षण /परियोजना कार्य	154,970	424,429
अतिथि संकाय और विजिटिंग फैकल्टी	6,529,514	5,865,245
जर्नल /पत्रिकाओं /सदस्यता /सॉफ़्टवेयर	5,013,012	-
अख़बार और समसामयिक	87,831	53,564
छात्रवृत्ति	-	2,595,156
अनुसंधान परियोजना	178,313	81,249
संगोष्ठी /सम्मेलन /कार्यशाला /कार्य	2,026,832	2,815,282
परीक्षा व्यय	-	136,894
स्टुडंड टू स्टूडेंट (एयूडी)	5,956,669	5,371,981
कुल	**20,818,020**	**17,343,800**

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली
31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि में आय और व्यय को विभाजित करने की अनुसूची

अनुसूची 12 - प्रशासनिक व्यय

(धनराशि रुपये में)

विवरण	2014-15	2013-14
विज्ञापन और प्रचार	2,019,674	6,771,653
एएमसी मरम्मत एवं रखरखाव प्रभार	979,104	-
एएमसी / मरम्मत और उपकरणों का रखरखाव	152,717	-
लेखा - परिक्षण शुल्क	150,000	150,000
बैंक प्रभार	37,344	27,619
दीक्षांत व्यय	794,257	713,655
योजना जानते हुए कमाएँ	206,400	447,750
बिजली शुल्क	5,747,690	6,517,050
ईआरपी और सॉफ्टवेयर	1,310,581	306,933
जिम / खेल / स्पोर्ट्स	48,470	-
वाहन की भर्ती	2,457,739	3,344,140
बागवानी	28,175	124,946
जलपान और कैटरिंग (मनोरंजन)	-	76,017
कानूनी विस्तार	195,500	-
चिकित्सा व्यय	2,088,858	2,414,541
बैठक व्यय (सांविधिक निकायों)	677,924	571,433
सदस्यता और सदस्यता व्यय	232,647	83,678
कार्यालय आकस्मिकता	942,401	2,189,791
डाक और कोरियर	58,045	93,317
छपाई और लेखन सामग्री	3,598,970	2,267,963
व्यावसायिक शुल्क	1,071,355	2,234,778
व्यावसायिक विकास	80,112	-
मरम्मत और रखरखाव	11,126,812	22,957,102
स्वच्छता	5,199,077	5,053,125
सुरक्षा व्यय	6,462,073	7,405,045
चयन समिति	737,916	1,191,407
खेल उपकरण	-	41,120
कर्मचारी कल्याण	141,086	944,178
टीए / डीए (घरेलू)	461,303	282,308
टीए / डीए (विदेशी)	596,989	507,749
टेलीफोन और इंटरनेट व्यय	3,228,743	754,647
वाइस चांसलर्स रिलीफ फंड	5,000	-
लर्निंग एनहांसमेंट	-	2,467,882
जल प्रभार	2,127,551	1,897,292
कुल	52,964,513	71,837,119

अनुसूची 14 समायोजन

यूजीसी अग्रिम को पिछले वर्ष समायोजन व्यय मन गया		4,609,287
पिछले वर्ष खरीदी संपत्ति के लिए पी एंड एल से शुल्क लिया गया		15,059,831
घटाएं: पुनर्गठन के कारण अंतर		(127,631)
कुल		19,541,487

अनुसूची 13

महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियां

1. लेखांकन परिपाटी

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी और आम तौर पर लेखांकन के संचय पद्धति आधार पर तैयार किए जाते हैं जब तक अन्यथा न कहा जाए।

2. राजस्व मान्यता

2.1 विद्यार्थियों/महाविद्यालयों से फीस, बचत बैंक खातों पर ब्याज को नकद आधार पर लिया जाता है।

2.2 पत्रिकाओं के लिए भुगतान की जाने वाली वार्षिक सदस्यता का भुगतान, पूरी तरह से भुगतान के वर्ष में किया जाता है।

2.3 आमतौर पर भुगतान के वर्ष में पूरी तरह से व्यय का शुल्क लिया जाता है।

2.4 निवेश पर ब्याज का श्रेय प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

3. सरकारी अनुदान

सरकारी/यूजीसी अनुदान रसीद के आधार पर किया जाता है। 5 करोड़ रूपए का अनुमोदन प्रोद्भवन आधार पर स्वीकृत है इसलिए वित्तीय वर्ष की आय में 5 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।

4. स्थायी परिसंपत्तियां

स्थायी परिसंपत्तियों को लागत आधार पर रखा गया है और खरीद के वर्ष में पूरी तरह से शुल्क लगाया गया है।

मोबाइल : 0995342811

कैलाश चंद जैन एंड कंपनी (पंजीकृत)

चार्टेड अकाउंटेंट्स

805, लक्ष्मी दीप बिल्डिंग,
लक्ष्मी नगर जिला सेंटर, लक्ष्मी नगर,
दिल्ली-110092
E-mail : delhi@kcjainco.com, kcjaindelhi@gmail.com

दिनांक : 04-09-2015

सेवा में,
आशीष पटिदार महोदय,
सहायक कुलसचिव(वित्त),
अम्बेडकर विश्वविद्यालय,
दिल्ली-110 006

प्रिय महोदय,

शेड्यूल 14 के समाधान हेतु दिनांक 03 सितंबर, 2015 के आपके मेल के अनुसार आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी की जांच की गई और वे निम्नलिखित अभ्युक्तियों के साथ सही पाई गईं :

विवरण	अभ्युक्तियां	धनराशि(रुपए में)
यू.जी.सी. अनुदान को अंतिम लेखा में आय के रूप में दर्शाया गया है लेकिन इसे नई कंपनी बनाने के कारण टेली में देयता के रूप में दर्शाया गया है	यू.जी.सी. हेतु नई बुक्स के सृजन के कारण	28000000
घटाया : यू.जी.सी. व्यय को अंतिम वर्ष (13-14) में खर्चों के रूप में लिया गया है लेकिन टेली में इसे तुलन पत्र मद(डेबिट शेष) के रूप में लिया गया है	यू.जी.सी. हेतु नई बुक्स के सृजन के कारण	8445161
घटाया : पानी के लिए कर्मचारी देयता को अंतिम लेखा में व्यय के रूप में दर्शाया गया है किंतु टेली में यह तुलन पत्र में देयता के रूप में दर्शाया गया है	टेली में 13-14 में गलत दर्शाया गया है	32353
जोड़ा : टेली में वर्ष 13-14 में व्यय आरंभिक शेष दर्शाया गया है लेकिन पिछले वर्ष 13-14 में अंतिम लेखा में इस प्रकार का कोई व्यय नहीं है	टेली में 13-14 में गलत दर्शाया गया है	32000
घटाया : वर्ष 13-14 में टेली में आय दर्शाई है लेकिन पिछले वर्ष के अंतिम लेखा में नहीं दर्शाया है	टेली में 13-14 में गलत दर्शाया गया है	13000
वित्त वर्ष 2014-15 में पूंजीगत निधि में समायोजन किया गया		**19541486**

शेड्यूल 14 पर स्पष्टीकरण हेतु आपके अनुरोध पर यह पत्र जारी किया जाता है।

धन्यवाद एवं शुभकानाओं सहित,

कृते कैलाश चंद जैन एवं कंपनी
चार्टेड अकाउंटेंट्स
(हस्ता./-)
अभिषेक जैन
पार्टनर

मुख्यालय : 'Edena' प्रथम तल, 97, एम.के. मार्ग, मुंबई-400020, फोन: 022-22009131 फैक्स :022-22089978 ई-मेल : mail@kcjainco.com
शाखा : 120, स्टारलिट टॉवरए 29, यशवंत निवास रोड, इंदौर-452001, फोन : 0731-2547979, ई-मेल : indore@kcjainco.com

खाते के नोट्स :

1. वेतन पर व्यय मार्च 2014 से फरवरी 2015 तक की अवधि के लिए है। मार्च 2015 के महीने के लिए वेतन के प्रति कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

2. अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने 1 अप्रैल, 2014 से लेखांकन को विभाजित करने और परियोजनाओं(सीईसीईडी, सर जमजेशदजी टाटा ट्रस्ट, सर रतन टाटा ट्रस्ट, यूजीसी एवं अन्य परियोजनाएं) के संबंध में उनका अलग-अलग अनुरक्षण करने का निर्णय लिया है ।

3. इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कश्मीरी गेट कैंपस द्वारा चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान इस्तेमाल की गई बिजली और जल प्रभार के लिए 60:40 (एयूडी शेयर 40%) के अनुपात में बिजली और पानी के बिल के आधार पर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को 10309217/- रुपए का भुगतान कर दिया गया है। आईजीआईटी और ए.यू.डी. संयुक्त रूप से कश्मीर गेट कैंपस को साझा कर रहे हैं और पीडब्लूडी से अलग मीटर की अनुपलब्धता के कारण तथा क्षेत्र के आधार पर और अन्य कारणों से उपभोग के अनुपात को 60:40 के रूप में आवंटित किया गया है।

4. स्रोत और ब्याज पर गैर/लघु कटौती करके देयताओं पर ध्यान दिया गया है और विसंगति देखे जाने अथवा सूचना मिलने पर जुर्माना एवं ब्याज लगाया गया है। एयूडी राशि की वसूली/कटौती की स्थिति का पता लगाने के लिए डीडक्टी से संपर्क किया जा रहा है।

5. कर्मचारी और नई पेन्शन योजना के अंशदान के प्रति कर्मचारियों की देनदारियां 4,21,54,663 रुपये है क्योंकि उच्च शिक्षा निदेशालय से अनुमोदन की प्रतीक्षा है और राशि अभी तक उचित प्राधिकारी को प्रेषित की जानी है। इस चरण पर गैर-प्रेषण के लिए ब्याज/जुर्माना की राशि, यदि कोई हो, तो यह सुनिश्चित नहीं किया गया है अतः इसे प्रदान नहीं किया गया है।

6. वर्ष के दौरान एयूडी को सरकार/अन्य संगठनों से विभिन्न सीईसीईडी/अन्य परियोजनाओं के लिए अनुदान/वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। अनुदान/सहायता के अनुरुप अव्ययित शेष पर अर्जित बैंक ब्याज की राशि को संबंधित परियोजना निधि के हिस्से के रूप में माना जाता है।

7. कुछ कर्मचारियों और अन्य के लिए अग्रिम समाधन के अधीन हैं और विश्वविद्यालय की आय और व्यय और परिसंपत्ति और देनदारियों के लिए असंगत परिणामस्वरूप प्रभाव निश्चित नहीं हैं।

8. वित्तीय विवरण के नए प्रारूप को अपनाने के कारण जहां आवश्यक हो पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः व्यवस्थित एवं पुनर्जमित किया गया।

9. दिनांक 31.03.2015 के अनुसार जो बकाया राशि नीचे दर्शाई गई है, जो अव्ययित शेष राशि को दर्शाती है

सीईसीईडी	रु. 26150036
सर जमशेदजी टाटा ट्रस्ट	रु. 3727326

यू.जी.सी. विकास निधि	रु. 2333810
सर रतनजी टाटा ट्रस्ट	रु 634380
अन्य परियोजनाएं	रु. 8059931

10. एयूडी प्राप्त अनुदान राशि का रिकॉर्ड दर्शा रहा है। वर्ष की शुरुआत और समापन पर व्यय और अग्रिम और बकाया अनुदान का अव्ययित शेष के लिए भुगतान की गई संचयी राशि दर्शाई गई है। इसके अलावा एयूडी, अनुमोदित बजट प्रमुखों के अनुसार मदवार व्यय दिखाने वाले रिकॉर्ड को बनाए रखने और दाता के रिकॉर्ड बनाए रखने के संबंध में अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया में है।

11. कुछ परियोजनाएं 31.03.2015 तक जारी रही हैं, स्वीकृति शर्तों के अनुसार/दाता संगठन के साथ संपन्न एमओयू, इन परियोजनाओं का कार्यकाल 31.03.2015 को अथवा उससे पहले समाप्त हो गया था। यद्यपि इन परियोजनाओं की वैधता के विस्तार का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं होगा क्योंकि परियोजनाओं को पूरा करने में देरी अन्यथा दाता संगठन द्वारा अनुमोदित है।

12. कुछ संगठन ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए फंड का विस्तार करते हुए एमओयू/अनुबंध/कार्य संपन्न किया और सलाहकार/सेवा प्रदाता की क्षमता में एयूडी/सीईसीईडी को परियोजना सौंप दी है। प्रबंधन का मानना है कि सर्विस टैक्स एक्ट के प्रावधान यहां लागू नहीं हैं क्योंकि फंड सामाजिक कल्याणकारी कार्यों हेतु सार्वजनिक सामाजिक परियोजनाओं के लिए स्थानांतरित किए गए हैं। फिर भी एयूडी, दाता/अनुदानक/परियोजना प्रतिक्षित संगठन से इस मामले को स्पष्ट करने की प्रक्रिया में है।

13. वर्ष के दौरान सीईसीईडी परियोजनाओं पर एयूडी आवंटित व्यय के कारण ओवरहेड शुल्क पर दो परियोजनाओं अर्थात यूनिसेफ और एमएचआरडी के लिए शुल्क लिया जाता है। प्रबंधन का मानना है कि अन्य परियोजनाओं पर ओवरहेड शुल्क उनके निश्चित रूप से प्राप्ति/परियोजना के पूरा होने पर लिया जाएगा।

14. पिछले वित्तीय वर्षों में भुगतान किए गए सेवाकर के संबंध में रु. 17,45,197/- की धनराशि रक्षक सिक्योरिटी से वसूलीयोग्य है। यह अगले वित्तीय वर्ष में वसूल किया जाएगा ।

15. रु.13,76,312 के निवल उचंत शेष की चालू देयता का इस वर्ष में ठीक कर दिया गया है ।

16. 1 से 14 तक अनुसूचियों को 31 मार्च, 2015 को तुलन पत्र के अभिन्न भाग के रूप और इस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा को संलग्न किया गया है ।

कैलाश चंद जैन एंड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

(वित्त नियंत्रक)
अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

अभिषेक जैन
पार्टनर
मेम नंबर 407973
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक 11/07/2014

पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

2014–15

प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा), दिल्ली का कार्यालय
ए.जी.सी.आर. भवन, आई.पी. स्टेट, नई दिल्ली-110 002

सं. ई .एस/41-5/डॉ. बी.आर.ए.यू./ लेखा 2016-17/ दिनांक :

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय ,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,
'बी' विंग द्वितीय तल,
5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली 1100-54

विषय : **31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली के लेखा पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट।**

महोदय,

मैं 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली के लेखा पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट अग्रेषित करता हूं। अनुरोध है कि विधानमंडल को लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रस्तुति तिथि कृपया इस कार्यालय को सूचित की जाए। कृपया विधानमंडल में प्रस्तुत की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट की दो प्रतियां (अंग्रेजी तथा हिंदी प्रत्येक की) भी संदर्भ एवं अभिलेख हेतु प्रेषित की जाए।

कृपया प्रमाणित लेखा तथा पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट को विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाने तक इन्हें ''गोपनीय'' समझा जाए।

कृपया इसकी पावती दें।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(राजेश राजन)

वरि. उप महालेखाकर(ई.एस)

संलग्नक: उपर्युक्तानुसार

सं. ई.एस./41-5/ डॉ. बीआरएयू/ लेखा/ 2016-17/334 दिनांक : 29/03/2017

पृथक लेखापरीक्षा की प्रतिया सूचना आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की जाती हैं :

1. कुलसचिव, अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली – इस कार्यालय को प्रमाणित लेखा के हिंदी पाठ की 5 प्रतियां भेजने के अनुरोध सहित सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (एनआर), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली- 110124 - उनके दिनांक 22/03/2017 के पत्र सं. 136/उत्तरी क्षेत्र सेक्शन/एसएआर/एयूडी/48-2017 के संदर्भ सहित।

उप महालेखाकार(ईएस)

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन(रिपोर्ट)

हमने 31 मार्च, 2015 को भारत रत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2007 के खंड 34(1) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के खंड 19(3) के अंतर्गत उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए भारत रत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली के संलग्न तुलन-पत्र, प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा तथा आय एवं व्यय लेखा की लेखापरीक्षा की। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के प्रबंधन की है। हमारी जवाबदेही हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट मसौदा में केवल वर्गीकरण, सर्वश्रेष्ठ लेखा प्रयोगों के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानकों और प्रकटीकरण प्रतिमानों इत्यादि के संबंध में लेखा परीक्षण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(सी.ए.जी.) की टिप्पणियां शामिल हैं। विधि, नियमों तथा विनियमों(औचित्य और नियमनिष्ठा) एवं कार्यकुशलता-सह-प्रदर्शन पहलुओं इत्यादि के अनुपालन से संबंधित वित्तीय लेनदेन संव्यवहारों लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हो, तो जांच रिपोर्ट/सी.ए.जी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से पृथक रूप से सूचित की जाती हैं।

हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों से अपेक्षा है कि हम वित्तीय विवरणों के प्रत्यक्ष अयथार्थता से मुक्त होने के बारे में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और उसका निष्पादन करें। एक लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर धनराशियों के समर्थन में साक्ष्यों और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की जांच शामिल है। एक लेखापरीक्षा में प्रयोग किए गए लेखा सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा बनाए गए सार्थक अनुमानों के मूल्यांकन के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के संपूर्ण रूप से प्रतिपादन का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत के लिए एक सार्थक आधार प्रदान करती है।

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि :

i. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी लेखापरीक्षा हेतु यथासंभव हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक थे।

ii. इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा स्वीकृत सिद्धांतों तथा परिपाटी(कन्वेंशन्स) के अनुसार तैयार नहीं किए गए हैं।

iii. हमारी राय में, विश्वविद्यालय द्वारा उचित खाता बही और अन्य संबंधित अभिलेखों (रिकार्ड्स) को विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किया गया है जहां तक ऐसे खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

iv. इसके अलावा हम सूचित करते हैं :

ए. तुलन पत्र

देयताएं

1. चालू देयता (शेड्यूल 4) – रु. 7.63 करोड़

उपर्युक्त में विद्यार्थियों से लिए गए शुल्क तथा इसके बराबर विश्वविद्यालय के अंशदान से सृजित रु.54.80 लाख की छात्र कल्याण की निधि शामिल है। इसे आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों एवं परम्पराओं के अनुसार उद्दिष्ट /अक्षय निधि में अलग से दर्शाया जाना चाहिए। जिसके परिणामस्वरूप रु.54.80 लाख की चालू देयताओं में अत्युक्ति(ओवरस्टेट्मेंट) और उद्दिष्ट/अक्षयनिधि में न्यूनोक्त(अंडरस्टेट्मेंट) हुई है।

परिसंपत्तियां

2. स्थायी परिसंपत्तियां (शेड्यूल-5)-रु.18.49 करोड़

विश्वविद्यालय ने स्थापना के बाद अपनी स्थायी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास नहीं किया है। नतीजन, वर्ष 2008-09 से वर्ष 2014-15 के लिए विश्वविद्यालय द्वारा किए गए निर्णयों के अनुसार स्थायी परिसंपत्तियां रु.6.76 करोड़ की हो जाती हैं। जिसके परिणामस्वरूप रु.6.76 करोड़ की मूल्यह्रास में न्यूनोक्ति (अंडरस्टेट्मेंट) और इतनी ही राशि की आय से व्यय के आधिक्य में अत्युक्ति(ओवरस्टेट्मेंट) हुई है।

बी. आय एवं व्यय लेखा

आय

3. अनुदान – राज्य (शेड्यूल-9) – रु. 38.86 करोड़

उपर्युक्त में पूंजीगत परिसंपत्तियों के प्रयोजन हेतु प्राप्त रु. 2.73 करोड़ के दो सहायता अनुदान शामिल हैं। आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार ऐसे अनुदानों को आय में दर्शाया जाना चाहिए तथा इसे आय एवं व्यय लेखा के माध्यम से दर्शाया नहीं जाना चाहिए। बल्कि इसे उद्दिष्ट/अक्षय निधि के तहत अलग-अलग दर्शाया जाना चाहिए। जिसके परिणामस्वरूप वर्ष हेतु रु.2.73 करोड़ की आय से व्यय के आधिक्य में अत्युक्ति (ओवरस्टेट्मेंट) और उद्दिष्ट/अक्षयनिधि में न्यूनोक्ति (अंडरस्टेट्मेंट) हुई है।

4. शुल्क से आय (शेड्यूल-8) – रु.4.02 करोड़

उपर्युक्त में रु.3.50 करोड़ की निवल ट्यूशन फीस शामिल है, जो रु.93.51 लाख के प्रशासनिक एवं अकादमिक व्यय की कटौती करने के बाद बना। आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, फीस प्राप्ति और प्रशासनिक एवं अकादमिक व्यय की सकल धनराशि को अलग से दर्शाया जाना चाहिए। जिसके परिणामस्वरूप रु.93.51 लाख की फीस से आय तथा प्रशासनिक व्ययों में न्यूनोक्ति(अंडरस्टेटमेंट) हुई है।

व्यय

5. स्थायी परिसंपत्तियां - जीआईए रु. 2.25 करोड़

विश्वविद्यालय ने रु.2.25 करोड़ की स्थायी परिसंपत्तियां खरीदी थी और लेखांकन नीति संख्या 4 के अनुसार लेखा में पूरी तरह से प्रभारित किया गया। आमतौर पर स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार स्थायी परिसंपत्तियां कई वर्षों की अवधि के लिए उपयोग की जाने वाली हैं और खरीदी वर्ष में आय एवं व्यय लेखा में पूरी तरह से प्रभारित नहीं की जाती है।

इस गलत प्रैक्टिस के परिणामस्वरूप रु.2.25 करोड़ की व्यय में अत्युक्ति(ओवरस्टेट्मेंट) तथा रु.2.25 करोड़ की आय से व्यय के आधिक्य में न्यूनोक्ति(अंडरस्टेटमेंट) हुई है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय द्वारा अपनायी गई लेखांकन नीति संख्या 4 आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन नीतियों के अनुरूप भी नहीं हैं।

सी. सामान्य

(i) विश्वविद्यालय ने खुलासा नहीं किया है कि परिसर के निर्माण हेतु 20 हेक्टेअर भूमि आबंटित की गई न ही भूमि की इस खरीद के वित्तपोषण की विधि।

(ii) परियोजना निधियों से सृजित रु.26.15 लाख की धनराशि की स्थायी परिसंपत्तियों में परिवर्धन को न तो विश्वविद्यालय को सौंपा गया है और न ही विश्वविद्यालय के प्रत्यक्ष अधिकार में थे। इस तथ्य को वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स के माध्यम से खुलासा नहीं किया गया।

(iii) वर्ष 2014-15 तथा पहले की वित्तीय अवधियों हेतु उपदान, छुट्टी नकदीकरण एवं पेंशन के सेवा-निवृत्त लाभों के लिए देयता उपलब्ध नहीं करायी गई। वित्तीय विवरणों में उसका प्रभाव लेखापरीक्षा में अनिवार्य है।

डी. सहायता अनुदान

वर्ष 2014-15 के दौरान विश्वविद्यालय ने जीएनसीटीडी से योजनागत राजस्व शीर्ष के तहत रु. 38.85 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त किया परंतु केवल रु. 25.62 करोड़ ही खर्च कर सका।

पूर्ववर्ती पैराग्राफ्स में हमारे अवलोकनों को ध्यान में रखते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा खातों की पुस्तकों के साथ समझौते(एग्रीमेंट) में नहीं हैं।

हमारी राय में एवं हमारी सबसे अच्छी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण के साथ पठित लेखांकन नीतियां और नोट्स टू अकाउंटस, और उपर्युक्त बकाया महत्त्पूर्ण मामलों, और इस रिपोर्ट के संलग्नक-I में दर्शाए गए अन्य मामले भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चे एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं :

क) जहां तक यह 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कार्यों की स्थिति के तुलन-पत्र से संबधित है, और

ख) जहां तक यह उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा, अधिशेष(सरप्लस) से संबंधित है।

ग) जहां तक यह उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा से संबंधित है।

हस्ता./-

प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 29/03/2017

संलग्नक- I

1. **आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता** – वर्ष 2014-15 हेतु विश्वविद्यालय की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई।

2. **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता** – विश्वविद्यालय के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। जैसा कि पाया गया कि पिछले वर्षों में प्राप्त सहायता अनुदान हेतु जीएनसीटीडी को भेजे गए उपयोग प्रमाण पत्र ठीक नहीं थे और समाधान कार्य दिनांक 31.03.2015 तक पूरी नहीं किए गए।

3. **स्थायी परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली-** स्थायी परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था।

4. **एफडीआर के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली** – वर्ष 2014-15 के दौरान एफडीआर के प्रत्यक्ष सत्यापन किए गए थे।

5. **सांविधिक देय के भुगतान में नियमितता** – वर्ष 2014-15 के दौरान निर्धारित समय के भीतर विश्वविद्यालय ने सांविधिक देय राशि का भुगतान किया।

पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 2014–15 पर पैरा वार कार्यवाही

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विश्वविद्यालय की कार्रवाई

क्रमांक	लेखापरीक्षा अवलोकन	ए.यू.डी की टिप्पणियां
1.	परिचय : हमने 31 मार्च, 2015 को 2007 के भारतरत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय के खंड 32(1) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के खंड 19(3) के अंतर्गत उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अम्बेडकर विश्वविद्यालय के आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा के संलग्न तुलनपत्र की लेखापरीक्षा की । वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी **विश्वविद्यालय** प्रबंधन की है । हमारी जवाबदेही हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।	तथ्य का बयान, ए.यू.डी. से कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
2.	इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वश्रेष्ठ लेखा प्रयोगों के साथ अनुरूपता, लेखा मानकों और प्रकटीकरण प्रतिमानों आदि के संबंध में लेखा परीक्षण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। विधि, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमनिष्ठा) और कार्यकुशलता-सह-प्रदर्शन पहलुओं आदि के अनुपालन से संबंधित वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हों, जांच रिपोर्ट/सी. एंड ए.जी. लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से पृथक रूप से सूचित की जाती हैं।	तथ्य का बयान, ए.यू.डी. से कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
3.	हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों से अपेक्षा है कि हम वित्तीय विवरणों के भौतिक अयथार्थता से मुक्त होने के बारे में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और उनका निष्पादन करें । एक लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर धनराशियों के समर्थन में साक्ष्यों और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की जांच शामिल है । एक लेखापरीक्षा में प्रयोग किए गए लेखा सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा बनाए गए सार्थक अनुमानों के मूल्यांकन के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के संपूर्ण रूप से प्रतिपादन का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत के लिए एक सार्थक आधार प्रदान करती है।	तथ्य का बयान, ए.यू.डी. से कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

क्रमांक	लेखापरीक्षा अवलोकन	ए.यू.डी की टिप्पणियां
4.	हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं :	
i.	हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी लेखापरीक्षा हेतु यथासंभव हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक थे ;	तथ्य का बयान, ए.यू.डी. से कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
ii.	इस रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किए गए तुलनपत्र, आय एवं व्यय और प्राप्तियां एवं भुगतान खाता स्वीकृत सिद्धांतों एवं परंपराओं के अनुरूप तैयार किए गए हैं।	तथ्य का बयान, ए.यू.डी. से कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
iii.	हमारी राय में विश्वविद्यालय द्वारा उचित खाता बही और अन्य संबंधित रिकार्ड रखा गया है, जहां तक ऐसे खाता बही की हमारी जांच से प्रतीत होता है बशर्ते रिपोर्ट में ऐसे अवलोकन शामिल किए गए हो।	तथ्य का बयान, ए.यू.डी. से कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
iv.	इसके अलावा हम सूचित करते हैं कि :	
ए.	**तुलनपत्र**	
ए.1	**देयताएं** 1. **चालू देयता (शेड्यूल 4) – रु. 7.63 करोड़** उपर्युक्त में विद्यार्थियों से लिए गए शुल्क तथा इसके बराबर विश्वविद्यालय के अंशदान से सृजित रु.54.80 लाख की छात्र कल्याण की निधि शामिल है। इसे आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों एवं परम्पराओं के अनुसार उद्दिष्ट /अक्षय निधि में अलग से दर्शाया जाना चाहिए। जिसके परिणामस्वरूप रु.54.80 लाख की चालू देयताओं में अत्युक्ति(ओवरस्टेट्मेंट) और उद्दिष्ट/अक्षयनिधि में न्यूनोक्त(अंडरस्टेट्मेंट) हुई है।	अनुपालन हेतु लेखापरीक्षा सुझाव नोट किए गए।
ए.2	**परिसंपत्तियां** **2. स्थायी परिसंपत्तियां (शेड्यूल-5)-रु.18.49 करोड़** विश्वविद्यालय ने स्थापना के बाद अपनी स्थायी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास नहीं किया है। नतीजन, वर्ष 2008-09 से वर्ष 2014-15 के लिए विश्वविद्यालय द्वारा किए गए निर्णयों के अनुसार स्थायी परिसंपत्तियां रु.6.76 करोड़ की हो जाती हैं। जिसके परिणामस्वरूप रु.6.76 करोड़ की मूल्यह्रास में न्यूनोक्ति (अंडरस्टेट्मेंट) और इतनी ही राशि की आय से व्यय के आधिक्य में अत्युक्ति(ओवरस्टेट्मेंट) हुई है।	ए.यू.डी. के स्थापना अर्थात् वर्ष 2008-09 के बाद वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए खाता बहियों में मूल्यह्रास उपलब्ध कराया गया है।
बी.	**आय एवं व्यय लेखा** **आय**	

	3. अनुदान – राज्य (शेड्यूल-9) – रु. 38.86 करोड़ उपर्युक्त में पूंजीगत परिसंपत्तियों के प्रयोजन हेतु प्राप्त रु. 2.73 करोड़ के दो सहायता अनुदान शामिल हैं। आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार ऐसे अनुदानों को आय में दर्शाया जाना चाहिए तथा इसे आय एवं व्यय लेखा के माध्यम से दर्शाया नहीं जाना चाहिए। बल्कि इसे उद्दिष्ट/अक्षय निधि के तहत अलग-अलग दर्शाया जाना चाहिए। जिसके परिणामस्वरूप वर्ष हेतु रु.2.73 करोड़ की आय से व्यय के आधिक्य में अत्युक्ति (ओवरस्टेट्मेंट) और उद्दिष्ट/अक्षयनिधि में न्यूनोक्ति (अंडरस्टेट्मेंट) हुई है।	वर्ष 2015-16 हेतु अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा सुझाव नोट किए गए हैं।
	4.शुल्क से आय (शेड्यूल-8) – रु.4.02 करोड़ उपर्युक्त में रु.3.50 करोड़ की निवल ट्यूशन फीस शामिल है, जो रु.93.51 लाख के प्रशासनिक एवं अकादमिक व्यय की कटौती करने के बाद बना। आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, फीस प्राप्ति और प्रशासनिक एवं अकादमिक व्यय की सकल धनराशि को अलग से दर्शाया जाना चाहिए। जिसके परिणामस्वरूप रु.93.51 लाख की फीस से आय तथा प्रशासनिक व्ययों में में न्यूनोक्ति(अंडरस्टेटमेंट) हुई है।	
	व्यय **5. स्थायी परिसंपत्तियां - जीआईए रु. 2.25 करोड़** विश्वविद्यालय ने रु.2.25 करोड़ की स्थायी परिसंपत्तियां खरीदी थी और लेखांकन नीति संख्या 4 के अनुसार लेखा में पूरी तरह से प्रभारित किया गया। आमतौर पर स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार स्थायी परिसंपत्तियां कई वर्षों की अवधि के लिए उपयोग की जाने वाली हैं और खरीदी वर्ष में आय एवं व्यय लेखा में पूरी तरह से प्रभारित नहीं की जाती है। इस गलत प्रैक्टिस के परिणामस्वरूप रु.2.25 करोड़ की व्यय में अत्युक्ति(ओवरस्टेट्मेंट) तथा रु.2.25 करोड़ की आय से व्यय के आधिक्य में न्यूनोक्ति(अंडरस्टेटमेंट) हुई है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय द्वारा अपनायी गई लेखांकन नीति संख्या 4 आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन नीतियों के अनुरूप भी नहीं हैं।	वर्ष 2015-16 हेतु अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा का यह सुझाव नोट किया गया है।
सी.	**सामान्य**	
	(i) विश्वविद्यालय ने खुलासा नहीं किया है कि परिसर के निर्माण हेतु 20 हेक्टेअर भूमि आबंटित की गई न ही भूमि की इस खरीद के वित्तपोषण की विधि।	
	(ii) परियोजना निधियों से सृजित रु.26.15 लाख की धनराशि की स्थायी परिसंपत्तियों में परिवर्धन को न तो विश्वविद्यालय को सौंपा	

	गया है और न ही विश्वविद्यालय के प्रत्यक्ष अधिकार में थे। इस तथ्य को वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स के माध्यम से खुलासा नहीं किया गया।	
	(iii) वर्ष 2014-15 तथा पहले की वित्तीय अवधियों हेतु उपदान, छुट्टी नकदीकरण एवं पेंशन के सेवा-निवृत्त लाभों के लिए देयता उपलब्ध नहीं करायी गई । वित्तीय विवरणों में उसका प्रभाव लेखापरीक्षा में अनिवार्य है।	वर्ष 2015-16 हेतु अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा का यह सुझाव नोट किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपदान और छुट्टी नकदीकरण हेतु उचित प्रावधान कर लिए गए हैं। पेंशन के संबंध में यह एयूडी कर्मचारियों के लिए लागू नहीं है।
डी.	**सहायता अनुदान** वर्ष 2014-15 के दौरान विश्वविद्यालय ने जीएनसीटीडी से योजनागत राजस्व शीर्ष के तहत रु. 38.85 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त किया परंतु केवल रु. 25.62 करोड़ ही खर्च कर सका।	
	पूर्ववर्ती पैराग्राफ्स में हमारे अवलोकनों को ध्यान में रखते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा खातों की पुस्तकों के साथ समझौते(एग्रीमेंट) में नहीं हैं। हमारी राय में एवं हमारी सबसे अच्छी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण के साथ पठित लेखांकन नीतियां और नोट्स टू अकाउंटस, और उपर्युक्त बकाया महत्त्पूर्ण मामलों, और इस रिपोर्ट के संलग्नक-I में दर्शाए गए अन्य मामले भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चे एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं देते हैं : ए. जहां तक यह 31 मार्च, 2015 को अम्बेडकर विश्वविद्यालय के मामलों के तुलनपत्र संबंधित है ; बी. जहां तक यह उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष आय एवं व्यय लेखा से संबंधित है ; और सी. जहां तक यह उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा से संबंधित है।	